भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4787
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

लोकपाल/लोकायुक्त

4787. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में लोकपाल/लोकायुक्त कार्यरत हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में लोकपाल/लोकायुक्त का गठन करना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या लोकपाल/ लोकायुक्त की अनुपस्थिति लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के उपबंधों का उल्लंघन है ; और

(घ) क्या उक्त संघ राज्यक्षेत्र में लोकायुक्त की तर्ज पर कोई अन्य संस्थागत प्रणाली बनाई गई है जो वहां के प्रशासकों और अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज कर जांच कर सकती है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : गृह मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) के उपबंधों के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन स्थापित लोकपाल की संस्था की अधिकारिता दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पदाधिकारियों पर है ।

(ख) : कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने सूचित किया है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 63 निम्नानुसार उपबंध करती है:

> "63.प्रत्येक राज्य, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए, यदि ऐसे किसी निकाय को स्थापित, गठित या नियुक्त नहीं किया गया है, राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अपने राज्य के लिए लोकायुक्त के नाम से ज्ञात एक निकाय की स्थापना करेगा" ।

(ग) और (घ) : उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता ।

****